

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.1(3) 2 ()/स्था/आईसीडीएस/2013 75

जयपुर, दिनांक: 11/11/19

आदेश

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1.	श्री जनक सिंह	बाविपअ, सेपुऊ, (धौलपुर)	15.01.1959	31.01.2019
2	श्री रकमा	बाविपआ, छोटी सादड़ी, (प्रतापगढ़)	16.01.1959	31.01.2019
3	श्री छगन लाल नागदा	बाविपअ, मावली, (उदयपुर)	18.03.1959	31.03.2019
4	श्री गिरवर सिंह	बाविपअ, (उदयपुर शहर)	01.07.1959	30.06.2019
5	श्री चुन्नीलाल गमेती	बाविपअ, गोगुन्दा, (उदयपुर)	03.07.1959	31.07.2019
6	श्री उमराव अली	बाविपअ, रतनगढ़ (चूरु)	29.06.1959	30.06.2019

इनके विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावेगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।
जयपुर, दिनांक: 11/11/19

क्रमांक: एफ.1(3) 2 ()/स्था/आईसीडीएस/2013 76-99

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, भरतपुर/बीकानेर/उदयपुर।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)/सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. उपनिदेशक, चूरु/उदयपुर/धौलपुर/प्रतापगढ़।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, सेपुऊ, (धौलपुर), छोटी सादड़ी, (प्रतापगढ़), मावली, (उदयपुर), (उदयपुर शहर), गोगुन्दा, (उदयपुर), रतनगढ़ (चूरु)
7. सम्बन्धित श्री.....चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी
8. व्यक्तिगत पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

समेकित बाल विकास सेवाएं, 2, जलपश गांधीनगर, जयपुर

विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in (Tel-Fax 0141-2700281 दूरभाष नं 0141-2713630)